राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 708/2019

विक्रम सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

मुख्य अभियंता, ग्रामीण, पी.एच.ई.डी., राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.03.2019
आदेश की दिनांक : 18.05.2019

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह जादोन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थीने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (Work Charge Employee) के रूप में वर्ष 1984 में नियुक्ति प्रदान की गयी थी। इसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 01.10.1986 से अस्थायी घोषित किया गया एवं इसके पश्चात दिनांक 02.10.1994 से स्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.03.2013 को सेवानिवृत्त हो गया था। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.10.1995 को दिया गया जबकि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति के आधार पर दिनांक 02.10.1993 को प्रथम चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 02.10.2004 से दिया गया, जबकि यह लाभ अपीलार्थी दिनांक 02.10.2002 को प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दो वर्ष देरी से दिया गया और इस कारण से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सका।

2. प्रत्यर्थी विभाग की और से जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.10.1984 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हुई थी तथा दिनांक 02.10.1986 को अर्द्धस्थाई सहायक पद पर घोषित किया गया था। अपीलार्थी प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 02.10.1995 में दिया गया जो कि राज्य सरकार के नियमानुसार उचित है तथा द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 02.10.2004 को नियमानुसार अपीलार्थी को प्रदान किया गया है। अपीलार्थी को प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान दिया गया एवं तृतीय चयनित वेतनमान देय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के रूप में हुई थी। सेवानिवृति दिनांक 31.03.2013 होने के कारण अपीलार्थी को नियमानुसार तृतीय

चयनित वेतनमान प्रदान नही किया गया क्योंकि नियमानुसार दैनिक वेतनभोगी की सेवाऐं राज्य सरकार के नियमानुसार चयनित वेतनमान में गणना योग्य नहीं है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हुई थी, तभी से अपीलार्थी की सेवा की गणना की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.10.1986 से अस्थायी सहायक के पद पर घोषित किया गया था और जब से उनकी सेवा की गणना कर उन्हें नियमानुसार चयनित वेतनमान प्रदान किया जा चुका है। उनका यह भी तर्क रहा है कि चयनित वेतनमान का लाभ नियमित कर्मचारी को देय है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को देय नहीं था।

4. इस बिन्दु पर कोई विरोधाभाष नहीं है कि अपीलार्थी पूर्व में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। चयनित वेतनमान केवल मात्र नियमित कर्मचारी को देय है एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को देय नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. DB. SP. Appeal Writ No. 589/2015 राज्य सरकार बनाम चन्द्रराम व अन्य अपीलों में पारित आदेश दिनांक 03.07.2017 में यह माना है कि चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति से देय है। ऐसे में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में दी गयी सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़कर चयनित वेतनमान दिलाये जाने के आदेश पारित नहीं किये जा सकते।

5. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)